रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.) 72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 1987/पौष 29, 1908
No. 33] NEW DELHI, MONDAY, JAN. 19, 1987/PAUSA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1987

अधिसूचना

स. 14/87-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 40 (अ):-केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना

आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं 464–सीमाशुल्क तारीख 18 नवम्बर, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात –

उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूची में क्रम सं 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा सं 355/344/84–सी.शु I]

सी पी श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th January, 1987

NOTIFICATION

NO 14/87-CUSTOMS

G.S.R 40(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 464-Customs, dated the 18th November, 1986, namely —

In the Schedule annexed to the said notification, Serial No. 6 and the entry relating thereto shall be omitted

[F No. 355/344/84-Cus-I]

C P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987